न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 100/2021

1. पल्लवी उम्र 15 वर्ष
2. विनय उम्र 11 वर्ष

| पुत्र पुत्री गोपीराम नाबालिग जरिये कुदरति बली माता सुमेरता पत्नी गोपीराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा हाल मकान नं. 36 शंकर कॉलोनी श्रीगंगानगर।

— — प्रार्थीगण

—:बनाम:—

1. गोपीराम पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल — अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 2

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 17/5/24

प्रार्थीगण ने जरिये वकील श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा अप्रार्थीगण 1 ता 2 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान् का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण संभावना है। यह कि प्रार्थीगण आपस में भाई—बहन है अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण का पिता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो हिन्दु विधि के मिताक्षरा स्कूल ऑफ से शासित है। जो परस्पर सहदायिकी व सहअंशदायी है। सजरा खानदान पक्षकारान लगाया गया है।

अप्रार्थी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के नाम चक 4 एनएसडब्ल्यु के खाता सं. 31/20 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड, अनकमांड गै.मु. खाला खातेदारी में 1431/12625 हिस्सा व चक 28 एसटीजी के खाता सं. 44/71 के प.नं. 38/323 की 0.240 हैक्ट. में 1/25 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना—पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 को प्रार्थीगण के पड़दादा मुखराम के देहांत वर्ष 2018 में होने के उपरांत विरासत में प्राप्त हुई है। जो प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. का हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण को 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. व अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है परन्तु उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है। यह अप्रार्थी सं. 1 अत्यंत लालची, नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो अपने नाम दर्ज समस्त पैतृक कृषि भूमि को औने पौने अजनबी व्यक्ति का बेचान करना चाहता है। उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय, अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है। यदि यह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णणीय, अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीगण इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 11:22:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा तकिसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यु के खाता सं. 31/20 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड, अनकमांड गै.मु. खाला खातेदारी में 1431/12625 हिस्सा व चक 28 एसटीजी के खाता सं. 44/71 के प.नं. 38/323 की

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

0.240 हैक्ट. में 1/25 हिस्सा को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर सरिश्ता की रिपोर्ट कर दिनाकं 20.07.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्रावली अवलोकन व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टया मामला सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया गया कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यु के खाता सं. 31/20 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड, अनकमांड गै.मु. खाला खातेदारी में 1431/12625 हिस्सा व चक 28 एसटीजी के खाता सं. 44/71 के प.नं. 38/323 की 0.240 हैक्ट. में 1/25 हिस्सा में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा तक अप्रार्थीगण आगामी पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने आदेश पारित किये गये। प्रकरण में दिनांक 23.07.2021 को अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151–152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 20.07.2021 को जारी निषेधाज्ञा में चक 4 एनएसडब्लयु व चक 28 एसटीजी कर दिया गया है जबकि रिकॉर्ड में 4 एनएसडब्ल्यु–ए व 28 एसटीजी–ए दर्ज करना है जो सही है। पत्रावली अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं निषेधाज्ञा में चक 4 एनएसडब्लयु के स्थान पर 4 एनएसडब्लयु–ए व चक 28 एसटीजी के स्थान पर 28 एसटीजी–ए किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा दिनांक 30.06.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है:– यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कथन प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधिविरूद्व रूप से पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन प्रार्थीगण के परिवार की वंशावली सही होने से सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत चक 4 एनएसडब्ल्यु–ए के खाता सं. 31/20 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड, अनकमांड गै.मु. खाला भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1431/12625 हिस्सा दर्ज होना असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि थी। जिसका पंजीकृत बैयनामा मुझ अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 25.01.2021 को नोरंगलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को प्रतिफल सहित करवाया जाकर विक्रयशुदा भूमि का आधिपत्य नोरंगलाल को सुपुर्द किया जा चुका ह। दावादायरी के समय अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग का खातेदार स्वामी नहीं था। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 में जिस प्रकार कथन वर्णित किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पड़दादा मुखराम के नाम दर्ज होना सत्य होने से स्वीकार है। मुखराम की मृत्यु के पश्चात् प्रश्नगत भूमि मुखराम की संताने रेशमा, विमला, गीतादेवी, मीरा देवी, द्रोपदी देवी, महेन्द्र, राजेन्द्र, दलीप, रजीराम व रिछपाल के नाम ब हिस्सा बराबर 1/10 दर्ज हुई। मुखराम की पुत्रियां रेशमा, विमला, मीरादेवी व द्रोपदी देवी द्वारा अपना हिस्सा स्नेहवश अपने भाईयों महेन्द्र, राजेन्द्र, दलीप तथा अपने भतीजे ओमप्रकाश व मुझ अप्रार्थी सं. 1 गोपीराम को दे दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 की भुआ द्वारा अप्रार्थी को दिया गया भूमि में से हिस्सा किसी भी रूप में प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि में कभी किसी रूप में 2/3 हक व हिस्सा निहित हुआ। प्रार्थीगण का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार है कि प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि के किसी हिस्से पर किसी रूप में कब्जा काश्त हो। अप्रार्थी सं.1 ने अपने स्वामित्व की भूमि दिनांक 25.01.201 को ही प्रार्थीगण के दावादायरी से लगभग 6 माह पूर्व नोरंगलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय करके विक्रय के दिवस ही विक्रयशुदा भूमि का कब्जा [illegible] सौंप दिया था। प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण का किसी भी रूप में कोई हक व हिस्सा नहीं [illegible] अपने स्वामित्व की भूमि जरिये पंजीकृत बैयनाम नोरंगलाल को [illegible] किसी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थ[illegible] कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की माता झगड़ालू स्वभाव की महिला है जो बिना वि[illegible] कारण के रूठकर श्रीगंगानगर निवास कर रही है। प्रार्थीगण की माता ने मुझ अप्रार्थी सं. 1 को कलंकित करने के आशय से अप्रार्थी सं. 1 का अत्यंत लालची व नशेड़ी प्रवृति का व्यक्ति होने के झूठे कथन दर्ज किये है। दावादायरी से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि दिनांक 25.01.2021 को नोरंगलाल पुत्र सोहनलाल को अपने हक हिस्से कृषि भूमि बेचान कर विक्रय शुदा भूमि का आधिपत्य नोरंगलाल को सुपुर्द कर दिया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को बैयनामा के दिवस से ही चली आ रही है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 11:22:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मामला, सुविध का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू नहीं होने से प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र महज अप्रार्थी सं. 1 को तंग व परेशान करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से प्रस्तुत किया गया होने से विशेष परिव्यय सहित खारीज किये जाने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज किये जाने की कृपा करें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन कर व पत्रावली का अवलोकन कर व साक्ष्यों से साबित होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर बिना विवाद के काबिज काश्त है। दावे से पूर्व प्रश्नगत रकबे का बेचान हो चुका है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से है। प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का नहीं होने के कारण अस्वीकार योग्य है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जाता है और प्रकरण में दिनांक 20.07.2021 को तहसील पीलीबंगा चक 4 एनएसडब्ल्यु के खाता सं. 31/20 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड, अनकमांड गै.मु. खाला व चक 28 एसटीजी के खाता सं. 44/71 के प.नं. 38/323 की 0.240 हैक्ट. खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्सा की कृषि भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय प्रार्थना–पत्र सरे ईजलास उभय पक्षों की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 11:22:52 IST
Reason: SelfAttested